रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94

REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3 - Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 31, 1994/ज्येष्ठ 10, 1916
No. 272] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 31, 1994/JYAISTHA 10, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना सं. 42 (आर ई)/92-97

नई दिल्ली, : 31 मई, 1994

का. आ. 420(अ):—विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निम्नलिखित दिशा निर्देश अधिसूचित करती है।

निर्यात उत्पादन के लिए अवस्थापनात्मक सुविधाओं को बढ़ाने की दृष्टि से निजी/संयुक्त क्षेत्र में निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ई.पी.जैड) की स्थापना करने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है। निम्नलिखित दिशा निर्देश ऐसे प्रस्तावों पर लागू होंगे :

I. निर्यात संसाधन क्षेत्र का विकास और प्रबन्ध निजी रूप से या संयुक्त रूप से सरकार और निजी अभिकरण द्वारा या केवल राज्य सरकारों या उनके अभिकरणों द्वारा किया जा सकता है। निजी रूप से विकसित क्षेत्रों के मामले में, निवेशक या तो भारतीय व्यक्ति, अप्रवासी भारतीय, भारतीय या विदेशी कम्पनियां हो सकती है।

II. निर्यात संसाधन क्षेत्रों में यूनिटों पर लागू नीति, प्रक्रिया और लाभ निजी/संयुक्त क्षेत्र के निर्यात संसाधन क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली यूनिटों पर भी लागू होगी।

III. उपर्युक्त पैरा 1 के अनुसार किये गये निजी या संयुक्त क्षेत्र के निवेश को वर्तमान निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों में मानक आकार की फैक्टरी की बिल्डिंगों के निर्माण सहित अतिरिक्त अवस्थापनात्मक सुविधाओं को विकसित करने में भी उपयोग किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए निर्यात संसाधन क्षेत्रों में पहले से उपलब्ध भूमि को, अन्य बातों के साथ-साथ, नीचे उल्लिखित शर्तों के आधार पर विकासकर्ताओं को लीज पर दिया जा सकता है :—

(1) भूमि को सामान्य तौर पर 99 वर्षों की अवधि के लिए लीज पर दिया जाएगा।

(2) लीज का किराया भूमि के अर्जन की लागत, भूमि के विकास आदि के आधार पर तय किया जाएगा और वह वार्षिक तौर पर अग्रिम रूप में देय होगा।

(3) निर्धारित समय अवधि के भीतर उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निष्पादन गारंटी भूमि का कब्जा देने से पहले प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) केवल ईपीजेड स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित यूनिटें ही इस प्रकार सृजित की गई अवसंरचना में स्थान ले सकेंगी । यह सुनिश्चित करने के लिए कि ईपीजेड स्कीम के अनुसार चलने वाली यूनिटें ही क्षेत्र में कार्यशील रहें, क्षेत्रीय प्रबन्धन द्वारा उन सभी यूनिटों से उपयुक्त सहमति प्राप्त की जाएगी जिनको स्थापित करने की अनुमति दी गई हो।

(5) पट्टे वाली भूमि या उस पर सृजित की गई परिसम्पत्तियों पर किसी अधिकार को हस्तांतरित करने के पहले सरकार की पूर्वानुमति ली जाएगी, ऐसे अधिकार प्राप्त करने का पहला विकल्प सरकार के पास होगा । अधिकारों के हस्तांतरण से प्राप्त होने वाले पूंजीगत लाभों में सरकार तथा संवर्धकों की समान भागीदारी होगी।

IV. निजी/संयुक्त क्षेत्र में निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ईपीजैड) की स्थापना के प्रस्तावों के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करना जरूरी है:

(i) निर्यात संसाधन, क्षेत्र तथा उनकी यूनिटें क्षेत्र नियोजन, मलजल के निपटान, प्रदूषण नियंत्रण तथा इस प्रकार की व्यवस्थाओं से संबंधित स्थानीय विधियों, नियमों, विनियमों या उप-विधियों का अनुपालन करेंगी। वे औद्योगिक तथा श्रम कानूनों और ऐसे ही अन्य कानूनों/नियमों और विनियमों का भी अनुपालन करेंगी जो कि स्थानीय रूप से लागू हों।

(ii) निर्यात संसाधन क्षेत्र संवर्धक सीमाशुल्क बंधक प्रभार का वहन करेंगे तथा ऐसे सरकारी अधिकारियों के लिए उपयुक्त सरकारी आवास की भी व्यवस्था करेंगे जिनकी क्षेत्र में नियमित उपस्थिति आवश्यक हो।

(iii) ऐसे निर्यात संसाधन क्षेत्र सुरक्षा संबंधी व्यवस्था करेंगे, तथा सीमाशुल्क कानूनों, नियमों तथा प्रक्रियाओं की सभी शर्तें पूरी करेंगे।

(iv) ई ओ यू स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित यूनिटों को भी इन निर्यात संसाधन क्षेत्रों में स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।

V. अनुमोदन की प्रक्रिया

(i) निजी/संयुक्त क्षेत्र में निर्यात संसाधन क्षेत्र (ईपीजैड) स्थापित करने के प्रस्तावों पर इस प्रयोजन हेतु गठित की गई एक अंतरमंत्रालय समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

(ii) आवेदक का नाम और पता, संवर्धक का स्तर (क्या व्यक्ति/निजी कंपनी/राज्य सरकार/पब्लिक आर आई आदि है) का उल्लेख करते हुए आवेदन (10 प्रतियां) निम्नलिखित विवरण-युक्त परियोजना रिपोर्ट के साथ विकास आयुक्त को प्रस्तुत किए जाएं। (विकास आयुक्त के क्षेत्राधिकार प्रक्रिया पुस्तक (संशोधित संस्करण, मार्च, 1994) के परिशिष्ट-2 में दिए हैं)।

(क) मौजूदा अवस्थापना के विवरण सहित प्रस्तावित क्षेत्र की स्थिति और जिसकी स्थापना प्रस्तावित है, उसका क्षेत्रफल, निकटतम, समुद्री पत्तन/वायु पत्तन/रेल हैड इत्यादि से दूरी।

(ख) परियोजनाओं की व्यहार्यता और परियोजना के वित्त प्रबन्ध का ढंग, प्रस्तावित निवेश सहित वित्तीय विवरण।

(ग) लाभांशों इत्यादि के देश प्रत्यावर्तन और विदेश इक्विटी के विवरण, यदि कोई हों,

(घ) क्या क्षेत्र केवल कुछ विशेष उद्योगों को अनुमति देगा या बहु-उत्पादक होगा।

VI. प्रस्ताव की स्वीकृति पर, आवेदक को एक अनुमति पत्र जारी किया जाएगा। अनुमोदन की शर्तों के दुरुपयोग या अतिक्रमण की स्थिति में मंजूरी को स्थगित कर दिया जाएगा ।

VII. अप्रवासी भारतीयों और विदेशी/भारतीय कंपनियों द्वारा वास्तविक भू-सम्पत्ति स्वामित्व विकास पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश इस

निर्यात संसाधन क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों पर भी लागू होंगे ।

VIII. ऐसे क्षेत्रों में स्थित प्रस्तावित यूनिटों के आवेदन पत्रों पर केवल उत्पाद तथा सीमाशुल्क केन्द्रीय बोर्ड द्वारा इसके लिए अपेक्षित अधिसूचनाओं के जारी किए जाने पर ही विचार किया जाएगा ।

(6) इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फाइल सं. 3/19/94—आई पी सी—2]

डा. पी.एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक,
विदेश व्यापार पदेन अतिरिक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION NO. 42(RE)/92—97

New Delhi, the 31st May, 1994

S.O. 420(E).—In exercise of the powers conferred in by section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, (No. 22 of 1992) the Central Government hereby notifies the following guidelines.

With a view to augmenting infrastructural facilities for export production it has been decided to permit the setting up of Export Processing Zones (EPZ) in the private/joint sector. The following guidelines will apply to such proposals :

I. An EPZ can be developed and managed either privately or-jointly by Government and a private agency or exclusively by the State Governments or their agencies. In the case of privately developed Zones, the investors could be either Indian individuals, NRIs, Indian or foreign companies.

II. The policy, procedures and benefits applicable to units in the Export Processing Zones will also apply to the units to be established in the private/joint sector EPZs.

III. Private or joint sector investment in the manner brought out at para I above may also be utilised to develop additional infrastructure facilities including construction of standard design factory buildings in the existing EPZs. For this purpose, land already available in the EPZs may be leased out to developers, inter alia, on terms and conditions indicated below :—

1. The land would, ordinarily, be leased for a period of 99 years.
2. The lease rent, to be determined on the basis of cost of acquisition, development of land, etc., would be payable annually in advance.
3. Performance guarantee, to ensure proper utilisation within the time span decided upo,would be submitted before the possession of land is handed over
4. Units approved under the EPZ Scheme only would be eligible to occupy space in the infrastructure so created. To ensure that only units conforming to the EPZ scheme operate in the Zone, suitable agreement shall be obtained by the Zone management from all the units permitted to be set up.
5. Prior approval of the Government would be obtained before any rights over the leased land or assets created thereupon are transferred; the government would have the first option for acquisition of such rights. The capital gains accruable on transfer of rights would be shared equally between the Government and the promoters.

IV. Proposals for setting up EPZs in the private/joint sector are required to meet the following conditions :

(i) The EPZs and units therein will abide by local laws, rules, regulations or bye-laws in regard to area planning, sewerage disposal, pollution control and the like. They shall also comply with industrial and labour laws and such other laws/rules and regulations as may be locally applicable.

(ii) The EPZ promoters shall bear the custom bonding charges and also provide appropriate office accommodation for such Government officials whose regular presence may be necessary in the Zone.

(iii) Such EPZs shall make security arrangements and fulfill all the requirements of the Customs laws, rules and procedures.

(iv) Only units approved under the EOU Scheme would be permitted to be located in these EPZs.

V. Procedure for approval :

(i) Proposals for establishing private/joint sector EPZs will be considered by an Inter-Ministerial Committee set up for this purpose.

(ii) Applications (10 copies) indicating the name and address of the applicant, status of the promoter (whether individual/private company/state Government/NRI etc.) along with a project report covering the following particulars may be submitted to the Development Commissioner. (jurisdictions of the Development Commissioners are given in Appendix II to the Handbook of Procedures) (Revised Edition, March, 1994).

(a) Location of the proposed Zone with details of existing infrastructure and that proposed to be established, its area, distance from the nearest Sea Port/Airport/Rail head etc.

(b) Financial details including investment proposed mode of financing the project and viability of the projects.

(c) Details of foreign equity and repatriation of dividends etc., if any,

(d) Whether the Zone will allow only certain specific industries or will be a multi-product one.

VI. On acceptance of the proposal, a Letter of Permission will be issued to the applicant.

The approval will be subject to cancellation in the event of any abuse or violation of the conditions of approval.

VII. RBI guidelines on real estate ownership/development by NRI and foreign/Indian Companies, will also apply to the establishment of these EPZs.

VIII. Applications of units proposed to be located in such Zones, will be entertained only after requisite notifications have been issued by Central Board of Excise and Customs.

6. This issues in public interest.

[File No. 3/19/94-IPC-II]

DR. P. L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade and Ex-Officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994